रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238383 CG-DL-E-2**5**082022-238383

xxxGIDExxx

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] No. 411]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24 2022/भाद्र 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24 2022/BHADRA 2, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

सं. बीईई/एस एंड एल/एलसीएसी/37/2022-23.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो), केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित कितपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 को एतद्दवारा उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अविध की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथी मंजिल, सेवा भवन, नॉर्थ विंग, सेक्टर -1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को संबोधित किया जा सकता है और ब्यूरो के ई-मेल dg-bee@nic.in पर भी भेजा जा सकता है:

उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेप या सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा।

5726GI/2022 (1)

विनियम मसौदा

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (ख) "फॉर्म" से इन विनियमों के साथ संलग्न एक फॉर्म से अभिप्रेत है;
 - (ग) "लेबल" से किसी भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या ग्राफिक पदार्थ से अभिप्रेत है जो लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर चिपकाया गया है या उस पर दिखाई दे रहा है ;
 - (घ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों की वैधता अवधि अभिप्रेत है:

बशर्ते कि, यदि लेबल वैधता अविध की समाप्ति की समय-सीमा तक, अधिनियम की धारा 14 (ए) के तहत नए ऊर्जा खपत मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, मौजूदा मानकों को तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए नए मुल्यों को अधिसुचित नहीं किया जाता है;

- (ङ) "अनुज्ञा-पत्र धारी" से एक व्यक्ति या एजेंसी अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के तहत लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई है;
- (च) "अनुसूची" से इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची अभिप्रेत है;
- (छ) "लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूम एयर कंडीशनर अभिप्रेत है। इसमें लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर शामिल हैं जिनकी रेटेड क्षमता 10,500 वाट से ऊपर है और जिसमें 18,000 वाट तक और शामिल है:
- (ज) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के आधार पर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है:
- (झ) किसी लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर को बेचता या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें ऐसे एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुमित दी गई है।
- (2) यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों और गैर परिभाषित शब्दों से, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किये गये से अभिप्रेत है जिनके अर्थ क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।
- 3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण (1) प्रत्येक लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर, निम्नलिखित विवरण एवं विशिष्टियाँ उसके लेबल पर संप्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्ः -
 - (क) स्टार लेबल;
 - (ख) भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात;
 - (ग) लेबल वैधता की अवधि;
 - (घ) एयर कंडीशनर के उपकरण/प्रकार;
 - (ङ) विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और ब्रांड;
 - (च) मॉडल तथा विनिर्माण या आयात का वर्ष;

- (छ) शीतलन क्षमता (शत प्रतिशत) वाट में ;
- (ज) शीतलन क्षमता (पचास प्रतिशत) वाट में;
- (झ) ऊर्जा खपत यूनिट प्रति वर्ष में;
- (ञ) कंप्रेसर टाइप:
- (ट) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;
- (ठ) उपकरण का नाम;
- (ड) यूनिक श्रृंखला कोड;
- (2) डिज़ाइन, रंग, आकार और लेबल की अंतर्वस्तु वह होगी जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. लेबल प्रदर्शित करने की समय सीमा -

- (1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था में संक्रमण.- विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरणों वाला एक लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर संप्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) अनिवार्य ऊर्जा खपत मानकों का संशोधन.- उपकरण के लिए अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के शुरू होने पर, प्रत्येक अनुमती या व्यापारी या विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (क) बिक्री पर रखे गये लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर में संशोधित स्टार लेवल और संशोधित लेबल अवधि को संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाएगा और विनिर्माण वर्ष या लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर का आयात वर्ष भी इस तरह के संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाएगाः
 - बशर्ते कि सुचारू पारगमन के लिए, निर्माता संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के साथ, ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो महीने पहले उत्पाद का उत्पादन या आयात कर सकता है;
 - (ख) डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा के लिए अपेक्षित प्रचार सहित सभी प्रारंभिक कदम सुनियोजित होंगे और इन विनियमों के तहत ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन महीने पहले उठाए जाएंगे।
- 5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति (1) प्रत्येक निर्माता, विक्रेता या व्यापारी प्रत्येक लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर विक्रय के समय एक लेबल संप्रदर्शित करेगा और ऐसा लेबल उस पर संप्रदर्श फ्रंट पर लटकते हुए टैग (स्विंग टैग) के रूप में चिपकाया या संलग्न किया जाएगा।
 - (2) जो यूनिटें संप्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वहाँ लेबल को लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर की मंजूषा या आवरण के बाहरी भाग पर संलग्न किया जा सकेगा और यूनिट में तभी संलग्न किया जा सकेगा जब उसकी पैकेजिंग से यूनिट को हटा दिया गया हो या लेबल को उपभोक्ता या उपभोक्ता को दिए गए प्रलेखनों (दस्तावेजों) के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया हो।
- **6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुमति -** (1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।
 - (2) कंपनी पंजीकरणः ब्यूरो की अनुमित प्राप्त करने के प्रयोजनों हेतू, प्रत्येक ब्रांड को जैसा कि फॉर्म । (क) में निर्दिष्ट के रूप में अलग से पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें एक लाख रुपये का लेबल सुरक्षा शुल्क होगा, जो भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगाः
 - परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपये होगा।
 - (3) मॉडल पंजीकरणः- उप-विनियम (2) के तहत अनुमती के प्रत्येक आवेदन के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे -
 - (क) प्रति मॉडल दो हजार रुपये का आवेदन शुल्क, जो भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है; और ; तथा

- (ख) फॉर्म I (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज।
- 7. अनुमित प्रदान करनाः (1) विनियम 6 के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्टि होने के बाद कि सभी अनिवार्यताओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो मानकों और लेबलिंग पर अपने मैनुअल में निर्दिष्ट अविध के भीतर, विनियम 8 में निर्दिष्ट ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन हो सकता है -
 - (क) ब्रांड को फॉर्म II- (क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करें; तथा
 - (ख) फॉर्म II- (ख) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करना।
 - (2) ब्यूरो प्रपत्र III में निर्दिष्ट एक रजिस्टर बनायेगा और उसमें अनुमती का नाम दर्ज करेगा।
 - (3) उप-विनियम (1) के तहत दी गई अनुमित उस अविध के लिए वैध होगी, जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा निर्दिष्ट स्टार स्तर लागू है।
 - (4) स्टार रेटिंग योजना के संशोधन के मामले में, अनुमित के नवीनीकरण के लिए आवेदन अनुमिती द्वारा छह महीने के लिए किया जाएगा लेकिन इसकी समाप्ति से तीन महीने पहले नहीं किया जाएगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपये के शुल्क के साथ होगा।

बशर्ते, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपये के उक्त नवीनीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

- (5) उप-विनियम (4) के तहत नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि सभी अनिवार्यताओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अविध के भीतर, फॉर्म II (ख) में अनुमित का नवीनीकरण कर सकता है।
- (6) वैधता अविध की समाप्ति के बाद किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, जिस स्थिति में अनुमती नया आवेदन कर सकता है।
- (7) ऐसा अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) जो उस तारीख से लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमित चाहता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू होता है, वह फॉर्म iv के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (8) अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) नए सिरे से लेबल लगाने के लिए अनुमित लेने का प्रयास करेगा, यदि लाइट कमिश्यल एयर कंडीशनर का एक नया मॉडल संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाना है, और ऐसी अनुमित के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने के छह महीने पहले किया जाएगा।
- 8. लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें :- प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी (परमिटी), विक्रेता या व्यापारी लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्ः -
 - (क) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल केवल लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) अपनी लागत पर लेबल को मुद्रित करेगा और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर चिपकाएगा;
 - (घ) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल हर समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का संदाय करेगा;

- (च) लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भृत शुल्क ब्यूरो को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (छ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के 30वें दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त अधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी;
- (ज) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें ब्यूरो मानकों और लेबलिंग पर ब्यूरो के प्रचालन मैनुअल में निहित नियमों सहित विर्निदिष्ट करेगा।
- 9. लेबल शुल्कः (1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर तीस रुपये की लेबल फीस का संदाय करेगा।
 - (2) उप-विनियमन (1) के तहत विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक महीने के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाऐगीः
 - परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर लेबल शुल्क का संदाय करने में विफल रहने पर विनियमन 6 के उप-विनियमन (2) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति शुल्क उस पर दस प्रतिशत की दर से ब्याज सिंहत संदत्त शोध रकम वसूल कर सकेगा और यदि भुगतान की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर लेबलिंग शुल्क की कुल राशि की वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकता है और समाचार पत्रों में डिफॉल्टर के रूप में अनुमती का नाम प्रकाशित कर सकता है।
- 10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदायः विनियमन 9 के उप-विनियमन (2) के परंतुक के अधीन, अनुज्ञा-पत्र धारी लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर का निर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के संदाय का हकदार होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन (1) ब्यूरो स्वप्रेरणा और स्वतः संज्ञान से या प्राप्त किसी शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर स्टार लेवल और उसके लेबल पर संप्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और कि अनुज्ञा (परमीशन) के अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करता है। बिजली की खपत, क्षमता परीक्षण, पावर फैक्टर और अधिकतम परिचालन स्थिति परीक्षण सहित सभी परीक्षण ब्यूरो द्वारा या इसकी नामित एजेंसी के माध्यम से सत्यापन और चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से थैलेपी विधि या कैलोरीमीटर का उपयोग करके आयोजित किए जाएंगे।
 - (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, नमूने को ब्यूरो या इसकी नामित एजेंसी द्वारा विनिर्माण सुविधा, गोदाम या खुदरा आउटलेट से यादृच्छिक रूप से उठाया जाएगा जैसा वह उचित समझता है।
 - (3) जहाँ, उप-विनियम (1) के तहत प्राप्त की गयी शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और अंशांकन (केलीब्रेशन) प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर का परीक्षण करके सत्यापन करना अपेक्षित ओर आवश्यक है, वहाँ इस तरह के परीक्षण करने के लिए फॉर्म ट में समनुदेशिती को एक सूचना (नोटिस) जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय एवं खर्चों से संबंधित जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किये जाएं, ऐसे खर्च को ब्यूरो के पास जमा करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि चुनौती परीक्षण के तहत लिया गया नमूना विफल हो जाता है, तो विनिर्दिष्ट सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमिटी) द्वारा ब्यूरो को की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपरोक्त खर्च वापस कर देगा; और जहाँ उपकरण चुनौती परीक्षण पास करता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।
 - (4) जहाँ परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर का एक नमूना स्वतः परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहता है, ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) को एक और अवसर प्रदान करेगा और पहले परीक्षण में इस्तेमाल किए गए लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा। यह जांच-परीक्षण, एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में होगा, जो उस प्रयोगशाला से अलग होगा जहाँ पहला जाँच परीक्षण किया गया था और अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) की कीमत पर परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्य होगा।


- (5) ब्यूरो उप-विनियमन (3) या उप-विनियमन (4) में उल्लिखित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों को देखने के लिए फॉर्म v में अनुमति प्राप्त व्यक्ति को सुचित करेगा।
- (6) जहाँ पर, अनुज्ञा-पत्र धारी (परमिटी) ऐसे खर्च करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो -
 - (क) उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा;
 - (ख) विनियम 6 के तहत प्राप्त आवेदन की आगे की प्रक्रिया को रोकेगा;
 - (ग) फॉर्म V के जारी होने की तारीख से छह महीने के बाद, विनियम 7 के तहत अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) को दिए गए सभी लेबल रद्द कर देगा।
- (7) जहाँ पर दूसरा परीक्षण विफल हो जाता है, ब्यूरो करेगा -
 - (क) सभी राज्य नामित एजेंसियों को सूचना के तहत फॉर्म vi में अनुज्ञा-पत्र धारी (परमिटी) को निर्देश देगा कि दो महीने की अवधि के भीतर अनुज्ञापत्र धारी -
 - (i) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल को शुद्ध एवं ठीक करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और त्रुटियों को दूर करेगा;
 - (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लेगा; और
 - (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विवरणों को बदलन देगा और विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।
 - (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में किसी भी अनुज्ञा-पत्र धारी, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश का नाम और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा, जैसा कि यह दो महीने के भीतर उचित समझता है;
 - (ग) संबंधित राज्य नामित एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञा-पत्र धारी (परमिटी) और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करेगा।
- (8) अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी), उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट दो माह की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर, निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रपत्र vii में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।
- (9) यदि उप-विनियमन (8) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट अविध के भीतर किसी भी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि जारी किए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है और ब्यूरो उस प्रभाव का आदेश देगा।
- (10) ब्यूरो उप-विनियमन (8) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियमन (9) में पारित आदेशों को धारा 17 के तहत कार्रवाई करने और उप-विनियमन (9) के तहत पारित आदेश के प्रवर्तन के उद्देश्य से सभी राज्य नामित एजेंसियों को भेजेगा।
- (11) जहाँ पर अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) उप-विनियम (7) के तहत ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, ब्यूरो करेगा, -
 - (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के तहत अनुज्ञापी (परिमटी) को दी गई अनुमित को वापस लेगा;
 - (ख) केंद्र सरकार को धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप अनुज्ञा-पत्र धारी (परिमटी) द्वारा विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ ब्यूरो द्वारा जारी आदेश खंड (क) के तहत विचार के लिए और धारा 14 के खंड (ग) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा;

- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से किसी भी परिमट के नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा जैसा कि यह दो महीने के भीतर उचित समझता है;
- (घ) संबंधित राज्य नामित एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञा-पत्र धारी और व्यापारी के खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करेगा।
- **12. अनुज्ञा का निरस्तीकरण : -** ब्यूरो विनियम 7 के तहत दी गई मंजूर की गयी अनुज्ञा या अनुमोदन को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञापी-
 - (क) विनियमन 8 के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है;
 - (ख) विनियमन 9 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का संदाय करने में विफल रहता है;
 - (ग) विनियमन 11 के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

अभय बाकरे, महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो [विज्ञापन III/4/असा./231/2022-23]

अनुसूची (देखें विनियमन 3 के उप-विनियम (2)) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित होने वाला विवरण।

- 1. लेबल डिजाइन (अभिकल्प)
- (i) आयाम (डाइमेंशन):



(ii) लेबल के लिए रंग योजना:

नेवी ब्लू - सी: 97, एम: 95, वाई: 6, के: 1

हरा - सीः 81, एमः 10, वाईः 90, केः 1

नोटः ब्यूरो का लोगो और स्टार फिलर के नीचे केवल *हरे* रंग में तथा सभी फोंट एवं ब्यूरो के लोगो का शीर्ष *नीले* (नेवी ब्लू) में



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) के लोगो की रंग योजनाः

नीला -

रंगत (एच) -2390 संतुप्ति (एस): 64% चमकीलापन (बी): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 28, रंग संबधी घटक - ए:24 बी:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 363797;

हरा-

रंगत (एच) -150० संतृप्ति (एस): 10% चमकीलापन (बी): 67%


ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 61, रंग संबंधी घटक- ए:53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 00एए56;

(iv) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के मुद्रित लेबल के लिए पूरा नमूना निम्न है: अर्थात्-



2.लेबल सामग्री

लेबल की सामग्री टिकाऊ गत्ते (कार्डबोर्ड) की और स्वयं चिपकने वाली होनी चाहिए तथा लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखायी गयी आउटलाइनों में से एक में कट लगाया जाएगा।

फॉर्म I - (क)

(देखें विनियम 6 (2))

(कंपनी के लेटर हेड पर मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के तहत लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के ब्रांड के पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110 066, भारत

1.	मैं/हम	लाइट	कमर्शियल	एयर	कंडीशनरों	के	विनिर्माणकर्ता/वि	निर्मात	ा हूँ/हैं			में	
			(কা	रोबार	का पूरा नाग	म)			.अभिनाम	से (व्यक्ति	या फर्म	का	पूरा
	ना	म)से का	रोबार चला र	हाँ हूँ/च	ला रहे हैं, ए	तद्वारा	लाइट कमर्शियल	एयर वं	ज्डीशनर प	र लेबल चि	पकाने की	अनुम	मति

	के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं जैसा कि ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में विनिर्दिष्ट किया गया है (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल के उनके संप्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियमन 2022।						
2.	. उपकरण, कंपनी, निर्माण सुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुबंध में दिया गया है। फर्मों या सिमितियों के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र या फर्म के नाम तथा उसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी संलग्न की जाती है।						
	या अन्य प्राधिकरणों की ओर से इस	(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्तिःको (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकरणों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता एवं सटीकता के लिए उत्तरदायी होगा।					
	(ख) संपर्क व्यक्ति उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ स		•	म और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के धिकृत किया जाता है।			
	(ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परि यह होता है, ब्यूरो को संसूचित कर	-		केसी भी परिवर्तन या बदलाव को जैसे ही			
3.	उक्त उपस्करों के उत्पादन और विक्रय के आं और प्राक्कलन एवं अनुमानों के अनुसार निम्न प्र	`	ा्ल्य मेरी/हम	ारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी के अनुसार			
	वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)			
•	पिछले वर्षसेतक चालू वर्षसेतक (प्राक्कलन)						
4.	4. एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये का लेबल प्रतिभूति शुल्क, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड चालान संख्यादिनांकदारा संदत्त किया गया है। (केवल लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।						
5.	. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।						
6.	6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।						
7.	7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण हेतू नमूने के चयन के लिए प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।						
8.	मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में है, और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत						
	तारीख दिवस(वर्ष)					

हस्ताक्षर नाम..... पदनाम...... के लिए और उनकी ओर से (फर्म का नाम) फर्म की मुहर

अनुलग्नक I- (फॉर्म I-(क))

(देखें फॉर्म I-(क) का पैरा 2)

1.कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन संख्या	
फ़ैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण का समर्थन करने के लिए बाड़े:	हाँ/नहीं
(क) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (घ)	
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र	
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र	
(च) यदि लागू हो तो भारतीय मानक के प्रमाणन लाइसेंस के वैध ब्यूरो की प्रति	
(छ) भुगतान ऑनलाइन किए जाने के मामले में भुगतान रसीद	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग तालिका प्रदान की जा सकती है)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन संख्या	
फ़ैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)/फर्म की महर

5.

फॉर्म I - (ख)

[विनियम 6 (3) देखें]

ऊर्जा	दक्षता	ब्यूरो	(लाइट	कमर्शियल	एयर	कंडीशनर	के लेब	ाल के	संप्रदर्श	नि करने	का	विवरण	और रीनि	ते) विनियम	, 2022	के तहत
लाइ	ट कमरि	यिल ।	र्यर कं	डीशनर पर	लेबल	लगाने र्व	ने अनुम	नति वे	ह लिए	आवेदन						

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली - 110066
भारत

1.	मैं/हम ब्रांड नाम के तहत लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के पंजीकृत विनिर्माणकर्त्ता हैं/हैं
	(ब्रांड का नाम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया यूनीक लेबल श्रृंखला कोड है
2.	उपरोक्त उपकरण (कंपनी का नाम) द्वाराके ब्रांड नाम में विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित होता है।
3.	उपकरण, उत्पाद परीक्षण प्रमाण पत्र, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण अनुबंध में दिया गया है और संबंधित फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न हैं।
4.	मानकों के अनुरूपः मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा विनिर्मित या आयात किए गए लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के पास गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र है जो प्रासंगिक भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों (मानक का नाम और संख्या) के अनुरूप है जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है(अधिसूचना का शीर्षक के लिए।(उपकरण का नाम)।
	मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है, जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय संप्रत्यायन बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला संप्रत्यायन सहयोग या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला संप्रत्यायन सहयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। या समकक्ष निकाय उपकरण की गुणवत्ता के साथ-साथ प्रासंगिक भारतीय मानकों/मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन/सांविधिक आदेश में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों के दायरे में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए
	प्रयोगशाला विवरणः
	(क) संप्रत्यायन निकायः
	(ख) संप्रत्यायन स्थितिः
	(i) प्रयोगशाला के लिएः (हाँ/नहीं)

इनवॉइस/चालान दिनांक....... के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा दो हजार रुपये के आवेदन शुल्क का संदाय किया गया है।

(ii) परीक्षण मानकों के लिएः (प्रासंगिक उत्पाद मानक नाम/संख्या निर्दिष्ट करें)

(ग) ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की मंजूरी (हां/नहीं)ः

- 6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार लेबलिंग शुल्क तीस रुपये प्रति लेबल का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- 7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच-परीक्षण के मामले में आवश्यक सहायता / सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- 8. मैं/हम ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए अधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

9.	मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही है
	और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को तत्काल निरस्त किया जा सकता है।

तारीख दिवस(वर्ष)	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	के लिए और उनकी ओर से
	(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुलग्नक I - (फॉर्म I- (ख))

(देखें फॉर्म I- (ख) का पैरा 3)

जानकारी का विवरण

1. उत्पाद / उपकरण का विवरण

1.1 सामान्य (जैसा लागू हो विवरण को भरें)

उपकरण और प्रकार
ब्रांड नाम
मॉडल का नाम और संख्या
क्रम सं.
(क) अंत: इकाई :
(ख) बाह्य इकाई :
वाट्स में पूर्ण क्षमता (सौ प्रतिशत) पर मानक शीतलन
वाट्स में पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन
परिवर्तनीय स्पीड कंप्रेसर (हाँ /नहीं)
हीट पम्प (हाँ /नहीं)
रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज (वी):
रेटेड स्थितियों (ए) पर नाममात्र वर्तमान:
बीआईएस प्रमाण पत्र विवरण (यदि कोई हो)
(लाइसेंस / प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

गुणवत्ता प्रणाली प्रमाण पत्र विवरण (लाइसेंस/प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि अनुलग्न करें) भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (किलोवाट घंटा/किलोवाट घंटा) स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विवरण (जैसा भी लागू हो विवरण को पूरा करें)

परीक्षण किए गए मानः

क्रमांक	मापा मान	रेटेड मान
1.	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन (वाट)	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन (वाट)
2.	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन (वाट)	पूर्ण क्षमता (वाट) के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन
3.	बिजली की खपत (वाट) में पूरी क्षमता पर मानक शीतलन पर	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर बिजली की खपत (वाट) में
4.	बिजली की खपत (वाट) में पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर	बिजली की खपत (वाट) में पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर
5.	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)	पूर्ण क्षमता पर मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)
6.	फ़्रीक्वेंसी सेटिंग (हर्ट्ज में) मानक कूलिंग पर पूरी क्षमता के पचास प्रतिशत पर	फ़्रीक्वेंसी सेटिंग (हर्ट्ज में) मानक कूलिंग पर पूरी क्षमता के पचास प्रतिशत पर
7.	किलोवाट घंटा में शीतलक मौसमी ऊर्जा खपत	किलोवाट घंटा . में शीतलक मौसमी ऊर्जा खपत
8.	किलोवाट घंटा . में कूलिंग मौसमी कुल भार	किलोवाट घंटा . में कूलिंग मौसमी कुल भार
9.	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात, यानी कूलिंग सीजनल टोटल लोड/कूलिंग मौसमी ऊर्जा खपत स्टार रेटिंग	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात यानी कूलिंग सीजनल टोटल लोड/ शीतलक मौसमी ऊर्जा खपत स्टार रेटिंग
10.	रदार राज्य	रवार राज्य

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति	हां /नहीं
(i) प्रयोगशाला के लिए	
(ii) प्रासंगिक मानकों के लिए	
(मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
मान्यता की वैधता	
(समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	

राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	


3. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तिथि	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए स्टार लेबल और लागू की जाने वाली	
इकाइयों की संख्या	
क) प्रथम वर्ष के लिए -	
ख) दूसरे वर्ष के लिए -	
ग) तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद संख्या नं.	से तक

4. मॉडल का विवरणः

मॉडल या मॉडल का परिवार (यदि लागू हो)	मॉडल का नाम/मॉडल नंबर
आधार मॉडल	
चाइल्ड मॉडल	

5. लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है:



(मॉडलों की श्रेणी के लिए अलग नमूना संलग्न करें (यदि लागू हो)) तारीख:

श र
के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम) / फर्म की मुहर

फॉर्म II - (क)

(देखें विनियम 7(1) (क))

ऊर्जा दक्ष	ता ब्यूरो	(लाइट	कमर्शियल	एयर	कंडीशनर	के लेबलों	पर	उनके	संप्रदर्शन	करने	का	विवरण	और	रीति)	विनियम	, 2022
के तहत र	नाइट कम	र्शियल	एयर कंडी	शनर वे	के ब्रांड के	पंजीकरण	की	अनुमा	ते							

	नई दिल्ली, दिनांक
सेवा में,	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके प्रदर्शन का विवरण	और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार -

- 1. ब्यूरो आपको इस पत्र के अनुबंध में दिए गए अनुमोदनों के विवरण के अनुसार अपने ब्रांड को पंजीकृत करने की अनुमित देता है।
- 2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है-
- (क) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के तहत अधिसूचित लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) केवल लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाना जिसके लिए अनुमति दी गई है;
- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल की छपाई की जाएगी और इसे चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करता है कि लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर संप्रदर्शित स्टार लेवल हर समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
- (ड.) अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क संदाय करेगा ;
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्योरों का एक विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के ऐसे अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजुरी दी गई है।
- 3. अनुज्ञा-पत्र धारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, अनुज्ञा की विधिमान्य अविध के दौरान बाजार से पंजीकृत ब्रांड और लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर को वापस नहीं लेगा।
- 4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट यूनीक लेबल श्रृंखला कोड है और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
- 5. दिनांकमाह का दिन.....वर्ष को यह हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया गया है।

भवदीय.

(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक ।- (फॉर्म II- (क))

[देखें फॉर्म II-(क) के पैरा 1 के लिए]

स्वीकृतियों का विवरण

1.कंपनी का विवरण	
कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	
 पंजीकृत ब्रांड का नामः यूनीक श्रृंखला कोडः अन्य विवरण (यदि लागू हो) : दिनांक 	भवदीय,
	(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
फॉ	र्म II - (ख)
(देखें विनि	नेयम 7(1) (ख))
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबलों पर के तहत लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की	
	नई दिल्ली, दिनांक
सेवा में,	
** *	के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) गों के अनुसार, ब्यूरो आपको इस अनुबंध में निर्धारित और दिए

- गए ब्यौरे के अनुसार लेबल चिपकाने की अनुमति देता है।
- 2. यह अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि -

- (क) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनियमों में प्रदान किए गए निबंधनों और शर्तों के तहत अधिसूचित लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लिए ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल पर केवल लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के ऐसे मॉडल पर मुहर लगाई जाएगी जिसके लिए अनुमित दी गई है;
- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल को मुद्रित या चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर प्रदर्शित स्टार लेवल हर समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
- (ड.) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल तीस रुपये का लेबल शुल्क संदाय करेगा;
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्योरों का एक विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (छ) वही ब्यौरे एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (ज) अनुज्ञा-पत्र धारी लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के ऐसे अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
- 4. हस्ताक्षर, मुहरबंद और दिनांकमाह वर्ष का दिन।

भवदीय.

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक I- (फॉर्म II- (ख))

[देखें फॉर्म II-(ख) के पैरा 1]

अनुमोदन का ब्यौरा

1. उपकरण का ब्यौरा

(क) ब्रांडः

(ख) मॉडल का विवरणः

मॉडल या मॉडल की श्रेणी	मॉडल नाम	मॉडल नंबर
(यदि लागू हो)		
आधार मॉडल		
चाइल्ड मॉडल		

(ग) लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के प्रकारः


(घ) तकनीकी विनिर्देशः

क्रमांक	मापा गया मान	रेटेड मान
1.	मानक शीतलन क्षमता पर पूर्ण क्षमता (वाट)	मानक शीतलन क्षमता पर पूर्ण क्षमता (वाट)
2.	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधी	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधी क्षमता
	क्षमता	
3.	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर पूर्ण	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर पूर्ण बिजली
	बिजली इनपुट / खपत	इनपुट / खपत
4.	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधा	मानक शीतलन क्षमता (वाट) पर आधा बिजली
	बिजली इनपुट / बिजली की खपत	इनपुट / बिजली की खपत
5.	पूर्ण क्षमता में मानक शीतलन पर आवृत्ति	पूर्ण क्षमता में मानक शीतलन पर आवृत्ति (हर्ट्ज
	(हर्ट्ज में)	में)
6.	आवृत्ति सेटिंग (हर्ट्ज में) पूर्ण क्षमता के पचास	आवृत्ति सेटिंग (हर्ट्ज में) पूर्ण क्षमता के पचास
	प्रतिशत पर मानक शीतलन में	प्रतिशत पर मानक शीतलन में
7.	किलोवाट घंटा . में शीतलक मौसमी ऊर्जा	किलोवाट घंटा . में शीतलक मौसमी ऊर्जा खपत
	खपत	
8.	शीतलन मौसमी कुल लोड किलोवाट घंटा में	शीतलन मौसमी कुल लोड किलोवाट घंटा में
9.	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात,
	अर्थात, शीतलन मौसमी कुल भार / शीतलन	शीतलन मौसमी कुल भार / शीतलन मौसमी
	मौसमी ऊर्जा की खपत	ऊर्जा की खपत

2. लेबल का विवरणः-

उपकरण और प्रकार	
निर्माता/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल और विनिर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
शीतलक क्षमता (पूर्ण क्षमता)	
शीतलन क्षमता (आधी क्षमता)	
प्रति वर्ष इकाइयों में बिजली की खपत	
चर गति कंप्रेसर (हाँ /	
हीट पंप (हाँ /	
लेबल अवधि	
यूनीक श्रृंखला कोड	

- 3. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- 4. लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर की प्रत्येक इकाई पर लगाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है (मॉडल की श्रेणी के लिए अलग नमूने संलग्न हैं)



ı			

प्रपत्र में प्रदान किए गए यूनीक लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लगे लेबल में किया जाना है। तारीख

> भवदीय, (सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

फॉर्म III (देखें विनियम 7(2))

परमिट का रजिस्टर

क्रमांक	आवेदन संख्या और अनुज्ञा- पत्र की तारीख।	अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम	और विवरण (संपर्क व्यक्ति,	पता, पिन कोड, राज्य,	फ़ोन)	नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल,	वेबसाइट)।	उन उपकरणों का विवरण	जिनके लिए अनुज्ञा मंजूर	की गई है।		घोषित स्टार स्तर या	दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	अनुज्ञा संख्या और	यूनीक लेबल श्रृंखला।		वह अवधि जिसके लिए	अनुज्ञा मंजूर की गई हो ।		
(1)	(2)			(3)				(4)		(5)			(6)				(7)	
लेबल प्र	तिभूति शुल्क	की		लेबर	र प्रा	तेभूि	ते शुल्व	द्वा	द्वारा प्राप्त अवेदन शुल्क प्राप्त राशि का विवरण						(इले	क्ट्रॉनिक					
राशि.							लेनदेन					लेनदेन (विवरण): :) तिथि।									
				दिनां	ंक:)																
	(8)						(9)					(10)									
प्रत्येक वि	वेत्तीय वर्ष के	अंत	देय व	लेबि	तेंग १	ुल्क व	की राधि	शि।				प्र	ाप्त र	राशि	का	लेब	लिंग		टिप्प	णियां	
में चिप	काए गए ले	बलों										श्	<u></u> ुल्क रि	वेवर	ण इ	लेक्ट्रॉ	निक				
की संख्य	की संख्या।								लेनदेन (विवरण):					एण):							
									दिनांक:).												
(11) (12)									(13)					(14)							

फॉर्म IV

(देखें विनियम 7 (7))

मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञा-पत्र धारी द्वारा की गयी घोषणा (प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित अनुलग्नक के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(कॉर्पोरेट निकाय/अनुज्ञा-पत्र धारी के लेटर हेड पर)

तारीख:
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आरके पुरम,
नई दिल्ली-110066
भारत।
विषयः से प्रभावी स्टार स्तर के संशोधन पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन करने के विवरण और तरीके) विनियम, 2022) के तहत लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।
मैं/हम लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के विनिर्माता / आयातकर्ता हूँ/हैं जो (कंपनी के पूरे पते के साथ कंपनी का नाम) (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) के अभिनाम से कारोबार चला रहा हूँ/चला रहे हैं, एतद्वारा लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुमित के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं जैसा कि ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में विनिर्दिष्ट किया गया है (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा, जो से स्टार स्तर के संशोधन के लिए जाएगा।
2. उपरोक्त उपकरण (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) द्वारा विनिर्मित या आयात किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) पर विनिर्मित किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;
3. नए स्टार स्तर के अनुरूपः मैं/हम लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लिए अधिसूचना संख्यादिनांकित के अनुरूप हैं।
4. उपरोक्त उपकरण (जो पहले स्वीकृत किया गया था) के संबंध में अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।
5. लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार लेवल चेंज के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का विवरण मॉडल नाम

विवरण	घोषित मान
मानक शीतलन क्षमता पर पूर्ण क्षमता (वाट)	
मानक शीतलन क्षमता पर आधी क्षमता (वाट)	
बिजली की खपत (इकाइयों / वर्ष)	
भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात	
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार स्तर के अनुसार) (संशोधित स्टार स्तर के
	अनुसार)

- 6. मैं/हम मैन्युअल आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को (मौजूदा स्टार लेबल स्तर) से (संशोधित स्टार लेबल स्तर) में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- 7. मैंने/हमने उक्त लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा कर दिया है।
- 8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- 9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतू प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के विनिर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- 10. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचनाएं मेरी/हमारी सर्वात्तम जानकारी के अनुसार सही हैं, और अगर दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल निरस्त और अस्वीकार किया जा सकता है।

तारीख	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	के लिए और उनकी ओर से
	(फर्म का नाम)/फर्म की मुहर

प्रारूप (देखें विनियम 11 (3))

चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण प्रमाणित करने के लिए अनुज्ञा पत्र धारी को सूचना

	नई दिल्ली, तारीख
सेवा	

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्रांक संख्या के तहत लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुमति दिनांकित उसमें निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन दी गई थी।

- 2. ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ((लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियमन 11 के तहत, आपके अधिकृत वितरक / डीलर / रिटेलर से इनवॉइस नंबर के माध्यम से एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को दिनांकित............ रुपये............ की कीमत पर खरीदा था। और स्वतः संज्ञान परीक्षण या चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से दिनांकित......... एक नमूने के रूप में उठाया गया। इन नमूनों को उपर्युक्त विनियमों के विनियमन 3 के तहत लेबल पर प्रदर्शित ब्यौरे के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त मैसर्स......... एक एजेंसी द्वारा खरीदा गया था, जिसे आपके द्वारा उपरोक्त खरीदे गए लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर चिपकाया गया था। मैसर्स......... द्वारा सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के तहत विधिवत सील किए गए नमूने के तहत सीरियल नंबर------- मैसर्स से प्राप्त किया गया था। (डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर का नाम)
- 3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में विनिर्दिष्ट नमूने को मैसर्स, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए अधिसूचना संख्या एस.ओ.......दिनांकित......के पैराग्राफ 4, 5 और 6 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए और परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. के अनुबंध में दिए गए प्रपत्र के साथ कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज, एक मान्यता प्रयोगशाला को परीक्षण करने के लिए तक पहुँचाया दिया था।
- 4. उत्पाद का विवरण और स्वप्नेरणा से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अब, इसलिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, ब्यूरो अपने प्रेरक परीक्षण/चुनौती का आयोजन कर रहा है। परीक्षण (जैसा भी लागू हो) पर (प्रयोगशाला का नाम), परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- 5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो एतद्वारा सूचित करता है -
 - (i) नामित अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का संकेत (मूल रूप में) एक प्राधिकरण पत्र के साथ निर्दिष्ट उपरोक्त तिथि पर चुनौती परीक्षण / दूसरा परीक्षण प्रमाणित करने के लिए एक अधिकारी को नामित करें (कंपनी के लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाई जाएगी)।
 - (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य प्रासंगिक खर्चों के लिए ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि अनुबंध में उल्लेख किया गया है (खर्च इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा)।
- 6. कृपया ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त खर्च समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को विनिर्दिष्ट के अनुसार नामित नहीं किया गया हो और इस मामले में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- 7. हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकितमाह वर्ष का दिन।

भवदीय, (सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 23

संलग्नकः

- 1. उत्पाद का विवरण / स्वतः प्रेरणा परीक्षण के परिणाम
- 2. अनुलग्नक v (क)
- 3. खर्चों से संबंधित चालान

अनुलग्नक I- (प्रारूप -V)

[देखें प्रारूप V के

पैरा 5])

जानकारी का विवरण

1. चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण के लिए उठाए गए उत्पाद या उपकरण का विवरण

ब्रांड का नाम:
यूनीक लेबल श्रृंखला कोड:
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर:
हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के प्रकार: विभाजित करें
चर गति कंप्रेसर: हाँ /नहीं
विनिर्माण का वर्ष:
रेटेड क्षमता (किलोवाट)
रेटेड शीतलन किलोवाट घंटा में मौसमी ऊर्जा की खपत:
किलोवाट घंटा/किलोवाट घंटा में रेटेड भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात:
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर:

2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली धनराशिः

ब्यौरा	संख्या / व्यय (भारतीय रुपये में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल खरीद लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
परिवहन शुल्क (यदि लागू हो तो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञा-पत्र धारी द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	

3. आपके स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):

ज्यं.	मॉडल	रेटेड शीतलन मौसमी ऊर्जा की खपत	रेटेड शीतलन मौसमी कुल लोड	रेटेड भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (जाँच\परीक्ष)	टिप्पणियां

0				
तारा	ख∙			

भवदीय,

(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रारूप VI

(देखें विनियम 11 (7))

द्वितीय जांच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञा-पत्र धारी को विनिर्देश

नई दिल्ली, दिनांक
सेवा में,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के
विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या के तहत दिनांकित उसमें निर्दिष्ट नियमों
और शर्तों के अनुपालन के अधीन लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी। ।
2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के
विनियमन के तहत ब्यूरो ने आपके प्राधिकृत वितरक या डीलर से लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर लेबल वाला एक ऊर्जा दक्षता
ब्यूरो स्टार खरीदा था। खुदरा विक्रेता द्वारा चालान संख्यादिनांक। पूर्ण चुने गए नमूनों की खरीद और
परीक्षण विवरण आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या दिनांक के तहत फॉर्म ट में भेजे गए थे। आपसे यह भी
अनुरोध किया गया था कि परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता
्र प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला (नाम)के पते पर नमूनों के दूसरे चेक वैरीफिकेशन टेस्ट में भाग लें और देखें।
3. दूसरे चेक वैरीफिकेशन टेस्ट के लिए नमूना दिनांक को लिया गया था (दिन/माह/वर्ष) हमारी अधिकृत एजेंसी मेसर्स के
माध्यम से और तक पहुँचाया गया परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, हमारी अधिकृत एजेंसी
द्वारा ले जाया गया मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, मैसर्स द्वारा विधिवत मुहरबंद
और सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-
साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से प्राप्त उक्त नमूने पर उभारा विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था।
4. द्वितीय जांच परीक्षण की जाँच के परिणाम संलग्न हैं जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला
के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सक्षम प्राधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत जांच और काउंटर हस्ताक्षरित हैं। दूसरे चेक परीक्षण
के गवाह के रूप में आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा परीक्षण रिपोर्ट भी विधिवत रूप से हस्ताक्षरित की गयी है। परीक्षण
का परिणाम पुष्टि करता है कि वे संख्या एस.ओदिनांक में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों और
बाजार में निर्मित और बेचे जाने वाले हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर पर चिपकाए गए लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने
के लिए आपको दी गई अनुमति के नियम और शर्तें को पूरा करने में विफल रहे हैं।
5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम,
2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतद्वारा निम्नलिखित का अनुपालन
करने के लिए निर्देशित किया जाता है, अर्थात्ः -

- लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल को ठीक करेंगे या परीक्षण के दौरान पाई गई किमयों और किमयों को दूर करेंगे;
- ब्यूरो के विनिर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लेंगे; तथा
- विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदलेंगे।

6. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो महीने की समाप्ति के दस दिनों के भीतर फॉर्म टप्प् में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात

- 7. यदि उक्त तिथि तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- 8. ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नकः

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट

फॉर्म VII

कार्रवाई की गई रिपोर्ट (देखें विनियम 11 (8))

(संगठन के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

ताराख	

सेवा में,

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर 1, आरके पुरम, नई दिल्ली-110 066, भारत।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियमन 7 के प्रावधानों के अनुसार, हमें लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के निर्माता/आयातक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या. दिनांकित......मॉडल नंबर के लिएऊर्जा खपत मानक के अनुरूप लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर पर लेबल चिपकाने की अनुमित दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार, हमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या...... दिनांकित...... के तहत निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी विनिर्देश के आलोक में, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	कार्रवाई का निर्देश	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें		स्टार सेस्टार तक स्टार स्तर सही किया गया है। तारीखसे
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हाँ/नहीं/लागू नहीं	लागू ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण परिवर्तित करें.	हाँ/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपर्युक्त घोषणा हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
के लिए और उनकी ओर से	ī
वं	पनी/फर्म का नाम
	फर्म का नाम/ फर्म की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24 August, 2022

No. BEE/S&L/LCAC/37/2022-23.- In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to notify the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2022, the proposed draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, North Wing, Sector-1, R.K. Puram, New Delhi-110066 and may also be sent at the e-mail of the Bureau at dg-bee@nic.in;

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

Draft Regulations

- **1. Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2022.
 - 2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "Form" means a form appended to these regulations;
- (c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the light commercial air conditioner;
- (d) "label period" means the validity period of the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy consumption standards under section 14 (a) of the Act are not notified, the existing standards shall deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (e) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
 - (f) "Schedule" means the schedule annexed to these regulations;
- (g) "Light Commercial Air Conditioners" means room air conditioner specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act. It covers light commercial air conditioner having rated capacity above 10,500 Watts up to and including 18,000 Watts;
- (h) "Star rating or Star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the light commercial air conditioner based on energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (i) "trader or seller" in relation to any light commercial air conditioner means a person who sells or distributes such light commercial air conditioner and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such air conditioner.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Particulars to be displayed on label.-** (1) On every light commercial air conditioner, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) Star level;
 - (b) Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio;
 - (c) Label validity period;
 - (d) Appliance/type of air conditioner;
 - (e) the name of manufacturer or importer and brand;
 - (f) Model/year of manufacturing or import;
 - (g) cooling capacity (hundred per cent.) in Watts;
 - (h) cooling capacity (fifty per cent.) in Watts;
 - (i) Electricity Consumption in units per year;
 - (j) Compressor Type;
 - (k) logo of the Bureau of Energy Efficiency;

- (l) name of appliance;
- (m) unique series code;
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Time limit for display of labels.-
- (1) **Transition from Voluntary to Mandatory Regime.-** A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every light commercial air conditioner within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- (2) Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.- On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act for the appliance, every permittee or trader or seller shall ensure that-
 - (a) the light commercial air conditioner put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year or importing year of the light commercial air conditioner shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards:

Provided that for smooth transition, manufacturer may produce or import the product two month in advance from the date of such commencement, with the revised energy performance standards;

- (b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers and consumers, requisite publicity for their education shall be well planned and taken three months in advance of the date of such commencement, under these regulations.
- **5. Manner of display of label.** (1) Every manufacturer, seller or trader shall display on every light commercial air conditioner a label at the time of sale and the label shall be either adhere to, or be attached as a swing tag, on it.
 - (2) For units not on display, the label may be attached to the exterior of the casing of the light commercial air conditioner and the label may be attached to the unit when the unit is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.
- **6. Permission for display of label.-** (1) No star label shall be affixed on a light commercial air conditioner without obtaining the prior permission of the Bureau.
 - (2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

- (3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
 - (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any acceptable electronic mode of payment; and
 - (b) documents specified in Form I (B).
- **7. Grant of permission. -** (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labeling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8,
 - (a) register the brand in Form II-(A) or in electronic form; and
 - (b) grant permission for affixing label on light commercial air conditioner in Form II-(B) or in electronic form.
 - (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.

- (3) The permission granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
- (4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee from six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided, in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

- (5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II (B).
- (6) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee may make a fresh application.
- (7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the light commercial air conditioner from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix a label afresh, if a new model of the light commercial air conditioner is to be launched synchronizing with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- **8. Terms and conditions for display of particulars on label.-** Every permittee, seller or trader shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:—
 - (a) the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner shall conform to energy consumption standards notified under clause (a) section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of light commercial air conditioner for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the light commercial air conditioner at the cost of the permittee;
 - (d) star level displayed on the label of light commercial air conditioner shall be maintained at all time;
 - (e) pay the label fee as specified in regulation;
 - (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
 - (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers and sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
 - (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling.
- **9. Label fee. -** (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees thirty on each label affixed on the light commercial air conditioner.
 - (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under sub-regulation (2)

of regulation 6 and if the total amount of labeling fee is not recovered within one year of the last date of payment, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

- **10. Refund of label security deposit.** Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to refund of the label security fee on ceasing to manufacture light commercial air conditioner.
- 11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the light commercial air conditioner conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission. All tests including the power consumption, capacity tests, power factor and maximum operating condition tests shall be conducted by the Bureau or through its designated agency using enthalpy method or calorimeter for the purpose of verification and challenge testing.
 - (2) For the purpose of verification, the samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.
 - (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the light commercial air conditioner in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and a notice shall be issued to the permittee in Form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau. If the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall be forfeited.
 - (4) Where a sample of light commercial air conditioner used for testing fails the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall offer the permittee another opportunity and conduct a second test with twice the quantity of light commercial air conditioner used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee.
 - (5) The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.
 - (6) Where, the permittee fails to make such expenses, the Bureau shall -
 - (a) continue the verification by challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4);
 - (b) stop further processing of application received under regulation 6;
 - (c) cancel all the labels granted to the permittee under regulation 7, after six months from the date of issuance of Form V.
 - (7) Where the second test fails, the Bureau shall -
 - (a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State designated agencies, that the permittee within a period of two months shall,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.

- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (c) intimate to the concerned State designated agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (8) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (7) send the compliance report in Form VII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.
- (9) If the compliance report referred to in sub-regulation (8) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to have been not complied with the direction issued and the Bureau shall order to that effect.
- (10) The Bureau shall send the compliance report referred to in sub-regulation (8) and orders passed in sub-regulation (9) to all the State designated agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the sub-regulation (9).
- (11) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (7), the Bureau shall,-
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send a report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and for taking action by the Central Government under clause (c) of section 14;
 - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
 - (d)intimate to the concerned State designated agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- **12. Cancellation of permission.** The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,-
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
 - (c) fails to comply with the directions issued under regulation 11.

ABHAY BAKRE, Director General Bureau of Energy Efficiency


[ADVT.-III/4/Exty./231/2022-23]

Schedule

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on label of Light Commercial Air Conditioner.

- 1. Label design
- (i) Dimension:




(ii) Colour scheme for the label:

NAVY BLUE – C: 97, M:95, Y:6, K:1

GREEN – C: 81, M: 10, Y:90, K:1

Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE**



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%


Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for light commercial air conditioner:



2. Label material

The label shall be of durable cardboard and self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I - (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed on Company letter head)

Application for registration of brand of light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency, (Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi – 110 066,

India

conditioners	as specified	by the	Bureau	in the	Bureau	of Energy	Efficiency	(Particulars	and	Manner	of
their Display	of the Label	on Lig	ht Comr	nercia	l Air Co	nditioner)	Regulations	, 2022r.			

- 2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

 - (b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
 - (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above
- Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year fromto			
Current year fromto(estimate)			

- 5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
- 6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this	Day of	(Year)
Daicu uns	Day 01	(I Cai)

Signature
Name
Designation
For and on behalf of

(Name of the firm) SEAL OF FIRM [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

Annexure I- (Form I-(A))

[See para 2 of Form I - (A)]

1. Details of the Company		
Name of the company		
Address		
Pin code		
State		
Phone number		
Fax number		
E-mail		
Website		
Enclosures to support registration:	Yes/No	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises		
(b) Trade mark certificate		
(c) Small scale industries Certificate, if applicable		
(d) Quality Management System Certificate		
(e) Authorized signatory letter		
(f) Copy of valid Bureau of Indian standard's certification license, if applicable		
(g) Payment receipt in case payment is made online		
2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)		
Name of the manufacturing facility		

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature
Name
Designation
For and on behalf of
(Name of the firm)
Seal of the Firm

FORMI-(B)

[See regulation 6 (3)]

Application for permission to affix label on light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2022

Bu (M 4 th	ne Director General, breau of Energy Efficiency, linistry of Power, Government of India) Floor, Sewa Bhawan, Sector-I, R.K.Puram, bw Delhi - 110066 India
1.	I/We am/are the registered manufacturer/manufacturers of light commercial air conditioners under the brand nameName of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is
2.	The above equipment is manufactured or imported by(Name of the company) in the brand name of
3.	The details of the information in respect of the equipment, product test certificate, labels and payment is given in Annexure and relevant photocopies are enclosed herewith.
4.	Conformance to standards: I/We conform that light commercial air conditioner manufactured or imported by us possess the quality system certificate that conforms to relevant Indian/International standards (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the
	I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratory or at independent laboratory(Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian standards/International organisation for standardization/International electrotechnical commission standards as specified in Statutory order
	Laboratory details:
	(a) Accreditation Body:(b) Accreditation status:
	 (i) For laboratory: (yes/no) (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)
5.	(c) Bureau of Energy Efficiency approval for the Brand (Yes/No): An application fee of two thousand rupees has been paid by electronic mode vide invoice dated
6.	I/We agree to pay the labelling fee of thirty rupees per label as specified by the Bureau.
7.	I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8.	I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9.	I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.
Da	ted thisDay of(Year)
	Signature Name
	DesignationFor and on behalf of

(Name of the firm) / Seal of the Firm

$Annexure \ I - \! (Form \ I \text{-} (B))$

[See para 3 of Form I - (B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and type
Brand name
Model name and number
Serial number
(a) Indoor unit:
(b) Outdoor unit:
Standard Cooling at full capacity (hundred percent) in Watts
Standard Cooling at fifty percent of full capacity in Watts
Variable Speed Compressor (yes/no)
Heat Pump (yes/no):
Rated voltage or voltage range (V):
Nominal current at rated conditions (A):
BIS certificate details (if any)
(Attach copy of the license / certificate)
Quality system certificate details
(Attach copy of the
license/certificate)
Indian seasonal energy efficiency ratio (kWh/kWh):

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

Tested values:

Star rating

S.No.	Measured values	Rated values
1.	Standard cooling at full capacity (W)	Standard cooling at full capacity (W)
2.	Standard cooling at fifty per cent of full capacity (W)	Standard cooling at fifty per cent of full capacity (W)
3.	Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity	Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity
4.	Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent of full capacity	Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent of full capacity
5.	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity
6.	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent of full capacity	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent of full capacity
7.	Cooling seasonal energy consumption in kWh	Cooling seasonal energy consumption in kWh
8.	Cooling seasonal total load in kWh	Cooling seasonal total load in kWh

9.	Indian seasonal energy efficiency ratio,	Indian seasonal energy efficiency	
	that is, Cooling seasonal total load /	ratio that is, Cooling seasonal total	
	Cooling	load /	
	seasonal energy consumption	Cooling seasonal energy consumption	
10.	Star Rating	Star Rating	

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status	Yes/No
(i) For laboratory	
(ii) For relevant standards	
(Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation	
(Attach supporting	
document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	


3. Labelling information

Date of commencement	
Number of units to be star labeled and applied to Bureau of	
energy efficiency	
a) for the first year -	
b) for the second year -	
c) for the third year –	
Product serial No.	FromTo

4. Model Details:

Model or family of models (if applicable)	Model name/model number
Base model	
Child models	

5. Specimen of the label to be affixed on the light commercial air conditioner is shown below:



(Annex separate specimen for family of models (if applicable))

Date	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of

(Name of the firm) Seal of the Firm

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of light commercial air conditioner under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2022

То		New Delhi, dated
Pu	rsuant to	the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Eir Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2022
1.		Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in cure to this letter.
2.	This pe	rmission is subject to—
	(a)	the star level displayed on the label of light commercial air conditioner shall conform to energy consumption standards for light commercial air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
	(b)	the affixing of label only on such model of light commercial air conditioners for which permission has been granted;
	(c)	the printing and affixing of label on the light commercial air conditioners at the cost of the permittee;
	(d)	the permittee ensuring that the star level displayed on the light commercial air conditioners shall be maintained at all time;
	(e)	the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
	(f)	the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
	(g)	the permittee making available such other details of light commercial air conditioner as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3.		ttee shall not withdraw the registered brand and the light commercial air conditioner from the ring the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4.	The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is and should appear on the label as per the approved design.	
5.	Signed, se	aled and dated this day ofmonthyear.
		Yours faithfully
		(Secretary)
		Bureau of Energy Efficiency

5726 GI/2022 (1)

Annexure I – (Form II-(A))

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. Details of the Company

Nam	e of the company	
Add	ress	
Pin c	code	
State		
Phor	ne number	
Fax	number	
E-ma	ail	
Web	site	
1. 2. 3. Dated		Yours faithfully (Secretary) Bureau of Energy Efficiency II – (B)
	Permission/renewal of permission to affix label	ion 7 (1) (b)]
	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and MacConditioner) Regulations, 2022	
	-	New Delhi, dated
	To	
	1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of	the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and

- 1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
- 2. This permission is subject to the condition that
 - (a) the star level displayed on the label of the light commercial air conditioner shall conform to energy consumption standard for light commercial air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of light commercial air conditioner for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the light commercial air conditioner at the cost of the permittee;

- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the light commercial air conditioner shall be maintained at all times;
- (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees per label;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau, a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the same details shall be furnished to the Bureau through automated system;
- (h) the permittee shall make available such other details of light commercial air conditioner as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
- 4. Signed, sealed and dated this...... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

Annexure I- (Form II-(B))

[See para 1 of Form II-(B)]
Details of Approval

1. Details of the equipment

(a) Brand:

(b) Model details:

Model or family of models (if applicable)	Model name	Model number
Base model		
Child model		

(c) Type of light commercial air conditioner:

(d) Technical specification:


S.No.	Measured values	Rated values
1.	Full Capacity at Standard Cooling	Full Capacity at Standard Cooling
	Capacity (W)	Capacity (W)
2.	Half capacity at standard cooling	Half capacity at standard cooling
	capacity (W)	capacity (W)
3.	Full power input/consumption at standard	Full power input/consumption at standard
	cooling capacity (W)	cooling capacity (W)
4.	Half power input/power consumption at	Half power input/power consumption at
	standard cooling capacity (W)	standard cooling capacity (W)
5.	Frequency (in Hz) at standard cooling at	Frequency (in Hz) at standard cooling at
	full capacity	full capacity
6.	Frequency setting (in Hz) at standard	Frequency setting (in Hz) at standard
	cooling at fifty per cent. of full capacity	cooling at fifty per cent. of full capacity
7.	Cooling seasonal energy consumption in	Cooling seasonal energy
	kWh	consumption in kWh

8.	Cooling seasonal total load in kWh	Cooling seasonal total load in kWh
9.	Indian seasonal energy efficiency ratio	Indian seasonal energy efficiency ratio
	that is, Cooling seasonal total load /	that is, Cooling seasonal total load /
	Cooling seasonal energy consumption	Cooling seasonal energy consumption

2. Details of label:-

Appliance and type	
Name of the manufacturer/importer/brand	
Model and year of manufacturing	
Star level	
Cooling capacity (Full Capacity)	
Cooling capacity (Half Capacity)	
Electricity consumption in units per year	
Variable speed compressor (yes/no)	
Heat pump (yes/no)	
Label period	
Unique series code	

- **3.** The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- **4.** Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on each unit of light commercial air conditioner is shown below (Separate specimens for family of models is annexed)





The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the light commercial air conditioner.

Date

Yours faithfully (Secretary) Bureau of Energy Efficiency

FORM III

[See regulation 7(2)]

Register of Permittees

S1. No.	Application number and Date of permission.	Name and details of the permittee (Contact person, address, Pin code, State, Phone number, Fax number, E-mail, Website).	Details of equipment for which the permission has been granted.	effic le decl	evel or iency vel ared.	Ei Effi perr num uniq se	reau of mergy iciency mission ber and ue label eries.	Period for which the permission has been granted.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
Number of labels affixed at the end of each financial year. (8) Amount of labeling the end of each financial year.		Electronic transaction (Details): Date:) (9) Int of labeling fee details)	n	Labell detain amount rece Elect transa (Det	ing fee ils of ount ived action ails):	fees details ronic transact Date :). (10) Remarks	ction (Details):	
(11)		(12)		(1	3)		(14)	

Form IV [See regulation 7 (7)]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with the respective Annexure)

(On the letter head of corporate body/ permittee)

Date:

To

The Director General,
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India),
4th Floor, Sewa Bhawan, Sector 1, R. K. Puram,
New Delhi-110066 India.

Subject: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, 2022) on revision of star level effective from

- 2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
- **3.** Conformance to new star level: I/We conform to the notification S.O. numberdated for light commercial air conditioner.
- 4. A copy of the approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- **5.** A copy of the Bureau of Energy Efficiency label (as per revision of star level change) in respect of the light commercial air conditioner is enclosed.

Details of the equipment / model	as per revision of star le	evel
----------------------------------	----------------------------	------

Model Name -

Particulars	Declared	d values
Full Capacity at Standard Cooling Capacity (W)		-
Half capacity at standard cooling capacity (W)		-
Electricity consumption (units/year)		
Indian seasonal energy efficiency ratio		-
Star rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

- **6.** I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application and in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said light commercial air conditioner model.
- **8.** I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- **9.** I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Dat	_	
Dat	u	•

Day ofYear)
Signature
Name
Designation
For and on behalf of
(Name of the firm)
Seal of the Firm

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

То	New Delhi, dated the
	D OF FOR ON A LANGE
their Display on Light Commercial Air Conditione	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of er) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on of Energy Efficiency letter Nodated subject to ited therein.
Display on Light Commercial Air Conditioner) Efficiency star labelled light commercial air condit Invoice numberdated for a price of Rs purpose of suo motu testing or challenge testing. appointed by the Bureau for verification of the paraforesaid regulations, affixed by you on the afor sample duly sealed by M/s bearing serial	u of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy tioner from your authorized distributor/dealer/retailer vide
M/s, a National Accreditation Boar laboratory for conducting tests in accordance with	gency had transported the sample referred to in para 2 to d for Testing and Calibration Laboratories accredited the test procedure indicated in paragraphs 4, 5 and 6 of or giving test report in accordance with the Form S.O
therefore in pursuance of the provisions of sub-refficiency (Particulars and Manner of their Disp 2022, the Bureau is conducting <i>suo motu</i> to	tresults (if applicable) is enclosed with this letter. Now, regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy lay on Light Commercial Air Conditioner) Regulations, est/challenge test (as applicable) on(date) at ational Accreditation Board for Testing and Calibration
	4) of regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency ht Commercial Air Conditioner) Regulations, 2022, the
	nge test/second test on the above date specified along with name, designation and signature of the nominated official norized signatory of the company).
	nt, transportation, testing and other incidental expenses as the date of issuance of this letter (the expenses shall be
aforementioned expenses are not made in time or further follow up action in the matter in terms of su	the verification by challenge test or second test, even if the the officials are not nominated as specified and shall take ab-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy lay on Light Commercial Air Conditioner) Regulations,
7. Signed, sealed and dated this day of	monthyear.
	Yours faithfully

Bureau of Energy Efficiency

(Secretary)

Enclosures:

- 1. Details of product/ suo motu test results
- 2. Annexure V(a)
- 3. Invoice related to the expenses

Annexure I- (Form -V)

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type of light commercial air conditioner: Split
Variable speed compressor: Yes/no
Year of manufacturing:
Rated Capacity (KW)
Rated cooling seasonal energy consumption in kWh:
Rated Indian seasonal energy efficiency ratio in kWh/kWh:
Star rating or star level:

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	Model	Rated cooling seasonal energy consumption	Rated Cooling seasonal total load	Rated Indian seasonal energy efficiency ratio	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Dated:

Yours faithfully,

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See regulation 11 (7)]

Direction to permittee on failure of second check testing

To		New Delhi, dated the
Display on Light Comm	ons of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Parmercial Air Conditioner) Regulations, 2022 you were permitted oner vide Bureau of Energy Efficiency letter Nodated as specified therein.	ed to affix label on the ligh
Light Commercial Air Colight commercial air commerc	egulation of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars an Conditioner) Regulations, 2022 had purchased a Bureau of Er proditioners from your authorised distributor or dealer or resonance in the complete procurement a could in Form V vide Bureau of Energy Efficiency letter no. It and witness the second check verification teress	nergy Efficiency star labelled retailer vide invoice number and test details of the samples dated You were also st of the samples at National Accreditation Board e picked up or
(Particulars and Manner	sions of clause (a) of sub-regulation (4) of regulation 11 of the er of their Display on Label of light commercial air conditioned ply with the following, namely:-	
	et the star level displayed on the label of the light commercial a the defects and deficiencies found during testing;	ir conditioner or
• withdr	raw all the stocks from the market to comply with the direction	s of the Bureau; and
6. You are hereby directed issue of this letter and see	te the particulars displayed on advertising material. ted to complete the aforesaid corrective action within two mont send the compliance report in Form VII within ten days after the	
regulation(5) of regulation Commercial Air Condition 8.The Bureau shall take	e report is received by the said date the Bureau shall proceed to fon 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manioner) Regulations, 2022. In the follow up action in the matter in terms of sub-regulations areau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Dispations, 2022.	oner of their Display on Light ons (4), (5), (6) and (7) of play on Light Commercial
		Yours faithfully,
Enclosures:	Bureau	(Secretary) of Energy Efficiency

1. Test reports of the failed model

To

The Secretary,

Form VII

Dated.....

Action Taken Report

[See Regulation 11 (8)]

(To be furnished on letter head of the organisation)

Burea	au of Energy Efficiency,		
(Mini	istry of Power, Government of India)		
4 th Flo	oor, Sewa Bhawan,		
Secto	or 1, R.K.Puram,		
New	Delhi-110 066 - India.		
Pursu	ant to the provisions of regulation 7 o	f the Bureau of Energ	gy Efficiency (Particulars and Manner of their
Displ	lay on Label of Light Commercial Air Co	onditioners) Regulatio	ns, 2022, we M/s the Manufacturer/importer of
_	_		he light commercial air conditioner conforming
			vide Bureau of Energy Efficiency letter
No	datedfor the model nur	nber	
Pursu	ant to the provisions of sub-regulation	(4) of regulation 11 of	of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars
	_	=	onditioners) Regulations, 2022, we were given
			dated to take necessary corrective action.
			at the following actions have been taken at our
end.			
	Action directed	Status	Action taken
(i)	Correct the star level displayed on	Yes/No/NA	The star level has been corrected
(-)	the label of the light commercial air	1 05/1 (0/1 (11	fromstar tostar
	conditioner to comply with the		with effect from (Date)
	directions of the Bureau		, ,
(ii)	Withdraw all the stocks from the	Yes/No/ NA	All the stocks from the market have been
(11)	market to comply with the	105/110/1111	withdrawn to comply with the directions of
	directions of the Bureau. and		the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on	Yes/No/NA	Yes/No/NA
	advertising material.		
The above	ve declaration is true to the best of our kr	nowledge and belief.	
			Signature
			Name
			Designation
			For and on behalf of
			Name of the Company/Firm etc
			Name of the Firm / Seal of the Firm
			rame of the Firm / Beat of the Firm